

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जुलाई, 2018-आषाढ़ 22, शके 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 20 जून, 2018

क्र./987.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक-6/1974) की धारा-12 की उपधारा 3(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भरती तथा सेवा शर्त) विनियम, 1996 के विनियम 20(3) के उपरांत निम्नानुसार क्रम संख्या एवं प्रविष्टियाँ अन्तर्विष्ट की जाती हैं:

4. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) अधिनियम, 1967 यथा संशोधित द्वारा मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश 2018 तथा वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन का आदेश क्रमांक आर-298/1018/2018/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल, 2018.
5. मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (पेंशन) नियम, 1976.
6. मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (अवकाश) नियम, 1977.
7. मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958.

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
के लिये तथा आदेशानुसार.

(280-बी.)

NOTIFICATION

Bhopal, Dated: 20 June, 2018

No.987—In exercise of the powers conferred by sub-section 3(A) of section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) Madhya Pradesh Pollution Control Board with the prior approval of the State Government, hereby amend the Madhya Pradesh

with the prior approval of the State Government, in the Madhya Pradesh Pollution Control Board Service (Class I and II) (Recruitment and Conditions of Service) Regulation 1996 following serial numbers and entries are inserted after regulation 20(3) :-

4. The Madhya Pradesh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhinyam, 1967 as amended vide Madhya Pradesh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhyadesh 2018, and order of the Finance department, Govt. of M.P. No R-298/1018/2018/niyam/four Bhopal dated 27-4-2018.
5. Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Rules 1976.
6. Madhya Pradesh Civil Services (Leave) Rules 1977.
7. Madhya Pradesh Civil Services (Medical Attendance) Rules 1958.

**For & on behalf of M.P.
Pollution Control Board.**

(245-A-B.)

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 20 जून, 2018

क्र./986.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक-6/1974) की धारा-12 की उपधारा 3(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (चतुर्थ श्रेणी) (भरती तथा सेवा शर्त) विनियम, 1996 के विनियम 4 के उपरांत निम्नानुसार क्रम संख्या एवं प्रविष्टियाँ अन्तर्विष्ट की जाती हैं:-

5. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) अधिनियम, 1967 यथा संशोधित द्वारा विल विभाग का आदेश दिनांक 27 जनवरी, 2018.
6. मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (पेंशन) नियम, 1976.
7. मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (अवकाश) नियम, 1977.
8. मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958.

**मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
के लिये तथा आदेशानुसार.**

(246-बी.)

NOTIFICATION

Bhopal, Dated: 20 June, 2018

No.986—In exercise of the powers conferred by sub-section 3(A) of section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) Madhya Pradesh Pollution Control Board with the prior approval of the State Government, hereby amend the Madhya Pradesh Pollution Control Board Service (Class-IV). Service Recruitment Regulation 1996 following serial numbers and entries are inserted after regulation 4 :-

5. The Madhya Pradesh Shaskiya Sevak (Adhivarshik i-Ayu) Adhinyam, 1967 as amended by finance department, Govt. of M.P. dated 20-01-2000.
6. Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Rules 1976.
7. Madhya Pradesh Civil Services (Leave) Rules 1977.
8. Madhya Pradesh Civil Services (Medical Attendance) Rules 1958.

**For & on behalf of M.P.
Pollution Control Board.**

(246-A-B.)

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई, 2018-आषाढ़ 15, शके 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 20 जून, 2018

क्रमांक/985.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक-6/1974) की धारा-12 की उपधारा 3(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) (भरती तथा सेवा शर्त) विनियम, 1996 के विनियम 20(3) के उपरांत निम्नानुसार क्रम संख्या एवं प्रविष्टियाँ अन्तर्विष्ट की जाती हैं:-

4. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) अधिनियम, 1967 यथा संशोधित द्वारा मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश 2018, तथा वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश क्रमांक आर-298/1018/2018/नियम/चार, भोपाल दिनांक 27 अप्रैल, 2018.
5. मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (पेंशन) नियम, 1976.
6. मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (अवकाश) नियम, 1977.
7. मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958.

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
के लिये तथा आदेशानुसार.

(245-बी.)

NOTIFICATION

Bhopal, Dated: 20 June, 2018

No. 985.—In exercise of the powers conferred by sub-section 3(A) of section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) Madhya Pradesh Pollution Control Board

Pollution Control Board Service (Class-III) (Recruitment and conditions of service Regulation 1996 following serial numbers and enteries are inserted after regulation 20(3) :-

4. The Madhya Pradesh Shaskiya Sevak (Adhivarshik i-Ayu) Adhinyam. 1967 as amended vide Madhya Pradesh Shaskiya Sevek (Adhivarshiki-Ayu) Adhyadesh 2018, and order of the Finance department Govt. of M.P. No. R-298/1018/2018/niyam/four Bhopal, Dated 27-04-2018
5. Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Rules 1976.
6. Madhya Pradesh Civil Services (Leave) Rules 1977.
7. Madhya Pradesh Civil Services (Medical Attendance) Rules 1958.

For & on behalf of
M.P. Pollution Control Board
A. A. MISHRA,
Member Secretary

M.P. Pollution Control Board, Bhopal.